न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात ।

UPRN-18000382-2020

परिवाद सं०-249/2020

मोहम्मद अहमद   बनाम   गोपाल कृष्ण ओमर ।

धारा 138 एन.आई.एक्ट

थाना-घाटमपुर , कानपुर नगर ।

04-09-2020

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी । परिवादी उपस्थित । परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवाद पत्र का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि परिवादी अपने थ्रेसर द्वारा गेहूं की मड़ाई करता है तथा स्वयं कृषि कार्य करता है । विपक्षी घाटमपुर कस्बे का बड़ा गल्ला व्यापारी है जो किसानों का अनाज नगद व उधार लेकर व्यापार करता है विपक्षी ने परिवादी से जून 2019 में गेहूं कीमती रू० ,5,10,000/- का खरीदा था जिसमें रू०,20,000/-नगद दिया था तथा रू०,4,90,000/- के भुगतान का वायदा किया था । कुछ दिन बाद विपक्षी ने उसको रू०,1,00000/-की चेक , चेक सं०-053089 आई०डी०बी०आई० बैंक शाखा घाटमपुर कानपुर नगर की दिनांक 18-11-2019 को भुगतान हेतु जारी किया । परिवादी ने उक्त चेक को अपने खाता सं० -053089 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घाटमपुर कानपुर नगर में भुगतान हेतु लगायी जो दिनांक 04-01-2020 को पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित होकर वापस लौट आयी । चेक अनादरित होने की बात परिवादी ने विपक्षी को बतायी विपक्षी टाल मटोल करता रहा तथा खाली हाथ वापस कर दिया । विपक्षी उक्त रूपये को परिवादी को नहीं देना चाहता है उसे हड़पना चाहता है । परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 13-01-2020 को विपक्षी को विधिक नोटिस प्रेषित किया । विपक्षी ने न तो उक्त धनराशि का भुगतान किया और न ही नोटिस का जवाब दिया तो उक्त परिवाद दाखिल किया । परिवादी की ओर से विपक्षी को धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत तलब कर विचारण की याचना की गयी है ।

परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन मे शपथपत्र , प्रश्नगत चेक मूल रूपसे ,बैंक मेमो , विपक्षी को प्रेषित नोटिस की प्रति तथा साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन मे शपथपत्र ,प्रश्नगत चेक मूल रूप से ,बैंक मेमो , विपक्षी को प्रेषित नोटिस की प्रति तथा साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः न्यायालय के मत में विपक्षी गोपाल कृष्ण ओमर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट का बनता प्रकट होता है । अतः विपक्षी गोपाल कृष्ण ओमर धारा 138 एन०आई०एक्ट में तलब कर विचारण किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/अभियुक्त गोपाल कृष्ण ओमर अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट के अपराध में विचारण हेतु जरिये सम्मन दिनांक 28-10-2020 के लिये तलब हो ।

परिवादी आवश्यक पैरवी करे ।

पैरवी उपरान्त विपक्षी /अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन जारी हो ।

दिनांक 04-09-2020

(राम गोपाल यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात ।
J.O.Code-UP02304

Digitally signed by Ram Gopal Yadav
Date: 2020.09.04 15:49:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court